UPBP010001022025

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट) जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)।

(पीठासीन अधिकारी-दीपनारायण तिवारी (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-2715)

उ०प्र० राज्य	आपराधिक प्रकीर्ण प्रकरण क्र०-10/2025
प्रति	विशेष सत्र प्रकरण क्र०-85/2022
जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर व अन्य	पुलिस थाना-तुलसीपुर,
	जनपद-बलरामपुर(उ०प्र०)

एवं

UPBP010001042025

उ०प्र० राज्य	आपराधिक प्रकीर्ण प्रकरण क्र०-12/2025
प्रति	विशेष सत्र प्रकरण क्र०-163/2022
जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर व अन्य	पुलिस थाना-तुलसीपुर,
	जनपद-बलरामपुर(उ०प्र०)

एवं

UPBP010001062025

उ०प्र० राज्य	आपराधिक प्रकीर्ण प्रकरण क्र०-15/2025
प्रति	विशेष सत्र प्रकरण क्र०-203/2022
जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर व अन्य	पुलिस थाना-तुलसीपुर,
	जनपद-बलरामपुर(उ०प्र०)

आदेश

(आज दिनांक-16.06.2025 को पारित)

(1) राज्य की ओर से श्री नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय, विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

(2) इस आदेश के माध्यम से राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा किये गये मौखिक निवेदन के आधार पर तीनों विविध आपराधिक प्रकरण का निराकरण एक-साथ किया जा रहा है।

(3) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक की ओर से इस आशय का मौखिक निवेदन किया गया है कि दिनांक 21.12.2024 व दिनांक 21.03.2025 को इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदकगण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण क्र०-366/2025 उ०प्र० राज्य द्वारा मुख्य सचिव बनाम विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट), बलरामपुर एवं अन्य योजित की गई थी, जिसे दिनांक 21.05.2025 को स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर के विरूद्ध दिनांक 21.12.2024 को पारित किये गये आदेश को अपास्त कर दिया गया है, अतः उक्त आधार पर लम्बित कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया है।

(4) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा रखे गये तर्क का श्रवण किया गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

(5) सर्वप्रथम इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 21.12.2024 का यदि अवलोकन किया जाए तो आदेश की कंडिका-22 इस प्रकार से लेख हैः-

22. It appears that SHO/CO(T) Balrampur has not presented the application 40B through SP Balrampur, DM, Balrampur but the knowledge of these application to them may be gathered from the application 42B by DGC (Cri.) may be the DM, Balrampur & SP Balrampur are not aware of application 40B. Application 40B has been erroneous practice on the part of police and also comtempt of Hon'ble Supreme Court of India (Ashwani Kumar Upadhyay's Case) and of Hon'ble High Court Alahabad in application U/s 482 No.2583/2022 Afroz Ahmad alias Rinku's case. Reply is awaited within 15 days from the District Magistrate, Balrampur & SP Balrampur and if no response is given the matter may be referred to the Hon'ble High Court of Allahabad for appropriate action including both the DM and SP Balrampur under Rule 53 of General Rule Civil.

(6) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अग्रिम कंडिका-24(B) का भी उक्त परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है जो इस प्रकार हैः-

ORDER

B. District Magistrate, Balrampur and SP Balrampur to response in writing as discussed in Para 22 of the order.

(7) दिनांक 21.12.2024 को इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश से पुलिस थाना प्रभारी, तुलसीपुर और क्षेत्राधिकारी, तुलसीपुर जनपद बलरामपुर व्यक्तिगत रूप से व्यथित एवं प्रभावित थे, अतः उन्होंने अपने व्यक्तिगत हैशियत में मा० उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्र०-355/2025 राकेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं पांच अन्य योजित किया था, जिसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से यह आदेश पारित किया गया है किः-

11. So far as the applications filed by the applicants bearing no. 40 B is concerned, that has been filed in a bonafide manner, apprising the legal position and since, that application created legal hindrance in the proceedings for that the applicants have tendered their unconditional apology in paragraph 34 of the application, which is accepted.

12. Therefore, without interfering the impugned order dated 21.12.2024, in respect of 'B' to 'G' of the impugned order dated 21.12.2024, I hereby set aside 'A' of the impugned order dated 21.12.2024, whereby, the cost has been imposed against the applicants with the further direction that such may be recovered from the salary of the present applicants and the structure issued against the applicants in the impugned order are hereby expunged.

13. Before parting with, the present applicants are issued caution for future that they shall not file any application which may directly or indirectly create any legal hindrance in the legal proceeding, and if any legal information is required to be supplied to the court concerned, such application should be filed at the earliest.

14. Accordingly, this petition is allowed partly.

15. No order as to cost.

(8) उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जब आवेदकगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तब इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पारित किये गये आदेश के अनुसार आवेदकगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर द्वारा मा० उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण क्र० -366/2025 संस्थित की गई थी। मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के माध्यम से इस न्यायालय में लम्बित विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाही को अपास्त किया गया है। उक्त आदेश की प्रति श्रीमान निबन्धक महोदय (जे) (लिटिगेशन) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ बेंच के पत्र क्र०- 4056/ L.C. 2157/2025 दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से इस न्यायालय को आज दिनांक 16.06.2025 को प्राप्त हुआ है, उक्त पत्र एवं संलग्न आदेश की प्रति के अवलोकन से भी यही तथ्य दर्शित होता है कि आवेदकगण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, जनपद बलरामपुर के विरूद्ध इस न्यायालय में लम्बित कार्यवाही को

अपास्त कर दिया गया है, फलतः राज्य की ओर से प्रस्तुत निवेदन स्वीकार करते हुए निम्नांकित आदेश पारित किया जाता हैः-

<u>आदेश</u>

1. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा किये गये निवेदन को स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर के विरूद्ध लम्बित कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के आलोक में अपास्त करते हुए उन्हें उन्मोचित किया जाता है। इस आपराधिक प्रकरण की पत्रावली अविलम्ब अभिलेखागार में विहित समयावधि के भीतर संचित किया जावे।

2. आदेश की एक-एक सत्यापित प्रति प्रकीर्ण वाद सं०-12/2025 तथा प्रकीर्ण वाद सं०-15/2025 की पत्रावली में संलग्न की जावे।

आदेश मेरे उदबोधन पर टंकित किया गया।

दिनांक-16.06.2025

(दीपनारायण तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश
(एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट)
बलरामपुर (उ०प्र०)

Digitally signed by DEEP NARAYAN TIWARI
Date: 2025.06.16 16:27:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court